(7)

Attachment- 1.6

Annexure-I

FORM-I

(For Linear Projects)

Government Of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

No. 3486/26-41 (2014-15) **Dated-** 15-12-14

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.710 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department, Uttarakhand** for **Construction of km-100 of Almora-Baijnath-(Gwaldam-)Karanprayag Motor Road to Vijaypur (km-100 Gwaldam State) Motor Road under PMGSY in Chamoli** district falls within jurisdiction of **Talwari, Talwari State and Vijaypur villages in Tharali Tehsil.**

It is further certified that:-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.710 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ~~23, 23.1, 23.2 and 23 (A)~~. A B & C.

(b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

Name: S. A. Murugesan (IAS)

जिलाधिकारी चमोली

(8)

Annexure -[illegible]-(A)

Office of the District Collector,

District-Chamoli (Uttrakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttrakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri S.A. Murugesan (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttrakhand) on 15-12-2014 at 4.30 PM at Chamoli in which the application claiming rights in **Chidinga, Silori villages in Tharali Tehsil**, area measuring **3.710 Hectares** for the **Construction of km-100 of Almora-Baijnath-Gwaldam-Karanprayag Motor Road km-100 (Gwaldam State) to Vijaypur Motor Road in Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Tharali Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

S. A. Murugesan (IAS)
District Magistrate – cum –
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

तहसील स्तर (9)

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा ग्वालदम–बैजनाथ–कर्णप्रयाग मो० मार्ग के Km-100 से बिजयपुर मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– थराली

उपखण्ड थराली परिक्षेत्र के अन्तर्गत अल्मोड़ा ग्वालदम बैजनाथ तलवाड़ी रवालदा कर्णप्रयाग MR Km-100 से मोटर मार्ग (— है0) आरक्षित वन भूमि– — है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि– 3.110 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल है0 वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेंन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील– थराली) की दिनांक 10/12/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विवेक प्रकाश, उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

1	श्री विवेक प्रकाश	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री के० रतन भारती	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य
3	श्री मोहन चन्द्र अंचल	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी / ए०बी०डी०ओ०	सदस्य / सचिव
4	श्री मदन सिंह	क्षे0प0स0 बलाण	सदस्य
5	श्री हरेन्द्र सिंह	क्षे0प0स0 निलाडी	सदस्य
6	श्रीमती कला देवी	क्षे0प0स0 ग्वालदम	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अल्मोड़ा-बैजनाथ-ग्वालदम कर्णप्रयाग मो० मार्ग के Km-100 से बिजयपुर मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.710 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी , वन प्रभाग, बद्रीनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

अल्मोड़ा-ग्वालदम (बैजनाथ) का प्रथा। मो० मा० के Km-100 से विजयपुर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.710 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– थराली
जनपद– चमोली

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– थराली
जनपद– चमोली

(11)

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मो0-मो0 के 1km - 100 से ... कमोड़ बैजनाथ ग्वालदम कोठयारा मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 10/12/2014 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद–चमोली।

1	श्री विवेक प्रकाश	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	ह0/
2	श्री के0 एल0 भारती	वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य	
3	श्री मोहन चन्द्र आँचल	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी / ए.बी.डी.ओ.	सदस्य / सचिव	ABDO
4	श्री मदन सिंह	क्षे0प0स0 बलाण	सदस्य	
5	श्री हरेन्द्र सिंह	क्षे0प0स0 निलाडी	सदस्य	Harendra Singh
6	श्रीमती कला देवी	क्षे0प0स0 ग्वालदम	सदस्य	Kala

ग्राम सभा स्तर

(12)

~~प्रपत्र-23~~

परियोजना का नाम:– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा बैजनाथ ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के Km-100 से विजयपुर मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– तलवाड़ी, तलवाड़ी स्टेट, सेरा विजयपुर, तहसील– थराली, जनपद–चमोली।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली उत्तराखण्ड में अल्मोड़ा बैजनाथ ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग के Km-100 से विजयपुर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (................. है0 ~~आरक्षित~~ वन भूमि, —— है0 सिविल भूमि 3.710 है0 ~~वन पंचायत~~ भूमि —— है0) अर्थात कुल —— 3.710 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग/संख्या के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम में पंचायत तलवाड़ी द्वारा दिनांक 28/11/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तलवाड़ी सेरा विजयपुर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 3.710 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/
ग्राम सचिव/ग्रा0 पं0 वि0 अ0

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत तलवाड़ी ... वि0ख0-थराली चमोली)
ह0/
दि0
प्रधान

नोट:– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

(13)

~~प्रपत्र-22A~~

दिनांक 28/11/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः- तलवाड़ी, तलवाड़ी स्टेट, सेरा, विजयपुर, तलवाड़ी खालसा

क्र०सं०	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	सुरेन्द्रसिंह पिलवाल	[signature]
2-	कुन्दनसिंह पिलवाल	[signature]
3-	भूपालसिंह बर्थवाल	[signature]
4-	हरपालसिंह बिष्ट	H S Bt
5-	हरेन्द्रसिंह शाह	[signature]
6-	चन्द्रसिंह बिष्ट	[signature]
7-	रघुवीरसिंह बिष्ट	[signature]
8-	गबरसिंह बिष्ट	
9-	जगतसिंह नेगी	[signature]
10	नगेन्द्रसिंह बिष्ट	[signature]
11	राजेन्द्रसिंह नेगी	[signature]
12-	सुरेन्द्रसिंह नेगी	[signature]
13-	राजेन्द्रसिंह नेगी	[signature]
14-	सुजानसिंह बिष्ट	[signature]
15-	जसवन्तसिंह बिष्ट	[signature]
16-	पुष्करसिंह बिष्ट	[signature]
17-	कुंवरसिंह बिष्ट	[signature]
18-	मोहनसिंह बिष्ट	[signature]
19-	जयवीरसिंह नेगी	[signature]
20	वीरेन्द्रसिंह नेगी	
21-	कर्णसिंह नेगी	
22-	रघुवीरसिंह बिष्ट (बड़ा)	
23-	बलवन्तसिंह रौथान	[signature]
24-	मनोहरसिंह रावत	
25-	पुष्करसिंह रावत	[signature]
26-	गजेसिंह बिष्ट	[signature]
27-	मेहरबानराम	मेहरबान राम
28-	गजेन्द्रसिंह रावत	[signature]

प्रधान [signature]

प्रधान ग्राम पंचायत तलवाड़ी खालसा, थराली (चमोली) [stamp] ह0 ... दि0 ...

[signature] [signature]